"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पौष 7, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-79/20-3/2011.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संबंधित शाला प्राचार्य	अंकसूची की प्रतिलिपि	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	संबंधित शाला प्राचार्य	स्थानांतरण प्रमाण पत्र	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय
3.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	छात्र दुर्घटना होने पर दावों की प्रतिपूर्ति (दावा स्वीकृति उपरांत)	10 कार्य दिवस	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय	अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग.
4.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना तथा राष्ट्रीय साधन सहप्रवीण्य छात्रवृत्ति का भुगतान/वितरण.	30 कार्य दिवस	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय	अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.